न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 16/2024

फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 702, सेवेन्थ फ्लोर, यूनिक एस्पायर प्लॉट नंबर 13—14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर—302021 जरिये प्राधिकृत अधिकारी गौरव कुमावत।

...प्रार्थी

बनाम

1.नरसी सैनी पुत्र भोंरया सैनी (ऋणी व बंधककर्ता)
पताः ग्राम— उदयपुरा, तहसील सिकराय जिला दौसा—303509
2. छोटी देवी पत्नि श्री नरसी सैनी (सह—ऋणी)
पताः ग्राम— उदयपुरा, तहसील सिकराय जिला दौसा—303509
3 मिथ्थू सैनी पुत्र श्री जौहरी लाल सैनी.(सह—ऋणी)
पताः शाहपुरा की ढाणी, तहसील सिकराय जिला दौसा—303509

......अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुदर्गी बाबत।

उपस्थित : श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश — दिनांकः 28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड,ने अप्रार्थी/ऋणी को 10,00,000/—(रूपये दस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड, को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई नरसी सैनी पुत्र भोंरया सैनी की अचल संपत्ति जो खसरा नंबर 715/360 ग्राम उदयपुरा, तहसील सिकराय जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 819.88 वर्गमीटर है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:49:36 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा